

कार्यालय जिलाधिकारी, ललितपुर
(खनिज अनुभाग)

संख्या 45 क/30-माइन्स/विज्ञप्ति-एम-सैण्ड/2024-25

दिनांक:- 05/03 / 2025

ई-निविदा आमंत्रण हेतु सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 शासन भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ की अधिसूचना दिनांक 16.10.2024 के द्वारा उ0प्र0 एम0-सैण्ड निविदा-2024 निर्गत की गयी है। प्रदेश में (एम-सैण्ड-Manufactured Sand) के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 748/86-2022-03(सा0)/2021 दिनांक 20.06.2022 के द्वारा, विकास कार्यो को गति प्रदान करने हेतु बालू/मौरम की उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत ईमारती पत्थर यथा, सैण्डस्टोन, डोलोस्टोन, ग्रेनाइट एवं ग्रेनाइट आयामी पत्थर के खनन क्षेत्रों में खनन संक्रिया के दौरान एकत्रित अनुपयोगी पत्थरों (रिजेक्ट पत्थर/ओवरवर्डन) से कृत्रिम बालू (एम-सैण्ड-Manufactured Sand) के उत्पादन एवं उसके उपयोग हेतु प्रक्रियात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के क्रम में पूर्व में जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 06.04.2023 के द्वारा अपर जिलाधिकारी, ललितपुर की अध्यक्षता में ईमारती पत्थर यथा सैण्ड स्टोन, डोलोस्टोन, ग्रेनाइट एवं ग्रेनाइट आयामी पत्थर के खनन क्षेत्रों के रिजेक्ट पत्थर/ओवरवर्डन की मात्रा में क्ले/मिट्टी की मात्रा घटा कर लॉट की मात्रा का निर्धारण करने हेतु समिति का गठन किया गया।

गठित समिति द्वारा जनपद में स्वीकृत/संचालित उपखनिज ग्रेनाइट डायमैन्शनल स्टोन के खनन पट्टा से निकले रिजेक्ट /ओवरवर्डन के क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान खनन क्षेत्र के रिजेक्ट पत्थर/ओवरवर्डन की मात्रा में क्ले/मिट्टी की मात्रा घटा कर निम्न विवरण के अनुसार कृत्रिम बालू (एम-सैण्ड-Manufactured Sand) के उत्पादन हेतु उपयुक्त पाये गये :-

क्र. सं.	तहसील	ग्राम	आराजी सं0	रकबा (हे0)	खण्ड सं0	उपखनिज	स्थलों के अक्षांतर और देशांतरों की स्थिति	मण्डारित मात्रा घनमी0 में	रायल्टी दर रू0 प्रति घनमी0	मण्डारित मात्रा की कुल रायल्टी रू0 में	अर्नेस्टमनी (कोलम-11) में अंकित सकल घनराशि का 10 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ललितपुर	टारिया	2 का भाग, 3 का भाग, 22 का भाग 23 का भाग 20 का भाग 26 का भाग	1.368	खण्ड -5	रिजेक्ट पत्थर/ ओवरवर्डन	A-24°47'-00.48 78°19'-39.78" B-24°47'-01.75 78°19'-43.56" C-24°46'-57.98 78°19'-44.85" D-24°46'-56.75 78°19'-41.28" E-24°46'-58.28 78°19'-39.13"	74585	100	7458500	745850
2	ललितपुर	टारिया	26 का भाग, 27 का भाग, 39 का भाग, 40 का भाग	0.886	खण्ड -6	रिजेक्ट पत्थर/ ओवरवर्डन	A-24°47'-01.29 78°19'-47.36" B-24°47'-03.26 78°19'-48.56" C-24°47'-03.53 78°19'-50.00" D-24°47'-00.17 78°19'-50.54" E-24°46'-57.97 78°19'-49.94"	16485	100	1648500	164850
3	ललितपुर	मनगौरा	594 का भाग 595 का भाग 596 का भाग	0.220	खण्ड -1	रिजेक्ट पत्थर/ ओवरवर्डन	A-24°44'-14.60 78°21'-06.90" B-24°44'-14.60 78°21'-07.80" C-24°44'-12.10 78°21'-07.90" D-24°44'-12.10 78°21'-06.70"	4445	100	444500	44450
4	ललितपुर	रोड़ा	242 का भाग, 243 का भाग, 244 का भाग, 246 का भाग,	0.500	खण्ड -1	रिजेक्ट पत्थर/ ओवरवर्डन	A-24°44'-23.60 78°25'-38.60" B-24°44'-23.90 78°25'-40.80" C-24°44'-20.80 78°25'-41.00" D-24°44'-21.50 78°25'-38.70"	7532	100	753200	75320
5	ललितपुर	शिवमहाल	15 का भाग, 16 का भाग, 17 का भाग	1.152	खण्ड -1	रिजेक्ट पत्थर/ ओवरवर्डन	A-24°48'-45.40 78°24'-53.60" B-24°48'-45.60 78°24'-56.10" C-24°48'-40.90 78°24'-56.50" D-24°48'-40.10 78°24'-53.40"	66850	100	6685000	668500

6	ललितपुर	दोरिया	43 का भाग, 44 का भाग, 45 का भाग, 48 का भाग, 41 का भाग	0.725	खण्ड -3	रिजेक्ट पत्थर/ ओवरवर्डन	A-24°46'-54.47 78°19'-52.15" B-24°46'-52.94 78°19'-56.10" C-24°46'-50.31 78°19'-56.48" D-24°46'-50.50 78°19'-55.15" E-24°46'-51.87 78°19'-52.70" F-24°46'-51.84 78°19'-51.08"	76692	100	7669200	766920
7	ललितपुर	दोरिया	13 से 21 तक के भाग, 50 का भाग, 26 का भाग, 40 का भाग, 49 का भाग, 48 का भाग,	2.042	खण्ड -4	रिजेक्ट पत्थर/ ओवरवर्डन	A-24°46'-50.93 78°19'-42.11" B-24°46'-52.09 78°19'-40.18" C-24°46'-54.23 78°19'-41.62" D-24°46'-57.86 78°19'-46.56" E-24°46'-58.20 78°19'-48.02" F-24°46'-57.17 78°19'-49.72" G-24°46'-55.83 78°19'-48.96" H-24°46'-55.88 78°19'-47.11"	45325	100	4532500	453250
8	ललितपुर	काला पहाड	107/2 का भाग 107/3 का भाग 107/ 7 का भाग 191 का भाग	1.300	खण्ड स0-1	रिजेक्ट पत्थर/ ओवरवर्डन	A-24°45'-27.06 78°17'-17.52" B-24°45'-27.18 78°17'-18.58" C-24°45'-26.00 78°17'-20.04" D-24°45'-20.37 78°17'-19.48" E-24°45'-20.27 78°17'-17.40"	51240	100	5124000	512400
9	ललितपुर	देलवारा	2850 का भाग 2851 का भाग 2852 का भाग 2899 का भाग 2900 का भाग,	1.611	खण्ड स0-1	रिजेक्ट पत्थर/ ओवरवर्डन	A-24°45'-40.80 78°23'-54.29" B-24°45'-40.89 78°23'-55.91" C-24°45'-38.74 78°23'-59.43" D-24°45'-36.22 78°23'-56.23" E-24°45'-37.26 78°23'-53.43" F-24°45'-38.94 78°23'-53.10"	61656	100	6165600	616560

अतः उ0प्र0 एम-सैण्ड नीति 2024 एवं इस सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश सं0 748/86-2022-03 (सा0)/2021 दिनांक 20.06.2022 में दिये गये निर्देशानुसार खनन क्षेत्रों में खनन संक्रिया के दौरान एकत्रित अनुपयोगी पत्थरों (रिजेक्ट पत्थर/ओवरवर्डन) की भण्डारित मात्रा को निम्न विवरण एवं शर्तों के अनुसार 01 वर्ष की अवधि का अनुज्ञा पत्र हेतु ई-टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से एन0आई0सी0 की वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर दिनांक 07.03.2025 से 19.03.2025 तक समय 5:00 PM बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह तक ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।


शर्तों:-

- 1- भण्डारित मात्रा के निस्तारण की अवधि 01 वर्ष होगी। विशेष परिस्थितियों में जिलाधिकारी द्वारा उक्त अवधि अग्रेत्तर 01 वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी।
- 2- निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई-मेल एवं मोबाइल नं0 (पता के प्रमाण के रूप में निम्न में से कोई एक मान्य होगा-वोटर आई डी/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेन्स/विजली बिल/बैंक पासबुक अथवा राशन कार्ड। फर्म/कम्पनी/निकाय के लिए उनका पंजीकरण का विवरण)।
- 3- भण्डारित खनिज के प्रति घनमी0 के लिए दी जाने वाली दर, जो उस खनिज के लिए शासनादेश सं0 748/86-2022-03(सा0)/2021 दिनांक 20.06.2022 में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर रू0 100 से कम नहीं होगी।
- 4- भण्डारित मात्रा (घनमीटर) को शासनादेश सं0 748/86-2022-03(सा0)/2021 दिनांक 20.06.2022 में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर से गुणा कर जो धनराशि आयेगी, उसका 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि जो उपरोक्त तालिका के कॉलम 12 में अंकित है जमा की जायेगी।
- 5- ई-निविदा में प्रतिभाग हेतु अर्नेस्ट मनी की धनराशि रू0 25000 का बैंक ड्राफ्ट जिलाधिकारी ललितपुर के पक्ष में अग्रिम के रूप में दी जायेगी। बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति कार्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य होगा, जिस निविदाकर्ता का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नहीं होगा उसकी ई-निविदा नहीं खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।

- 6- ई-निविदा आमन्त्रण सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 कार्य दिवसों के अन्दर अर्थात् दिनांक 19.03.2025 तक NIC की वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर निविदाकार को अपनी ई-निविदा अपलोड करनी होगी।
- 7- विज्ञप्ति के अनुसार 07 कार्य दिवसों में प्राप्त निविदाओं को अगले कार्य दिवस में दिनांक 20.03.25 को समय 11.00 AM बजे पूर्वाह्न/अपरान्ह जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्यों के द्वारा खोला जायेगा।
- 8- पैन कार्ड अथवा फोटो युक्त पहचान पत्र तथा ड्राफ्ट की स्कैन प्रति ई-टेंडर के साथ अपलोड किया जाना होगा। यदि निविदाकार द्वारा पैन कार्ड अथवा फोटो युक्त पहचान पत्र बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई-निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है, तो उसकी ई-निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों की मूल प्रति/प्रमाणित प्रति तथा ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिडस खोले जाने के उपरान्त दिनांक 20.03.2025 को समय 5.00 बजे के पूर्व कार्यालय में जमा करना होगा। मूल अभिलेख एवं धरोहर धनराशि सम्बन्धी डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप से प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदा दाता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी तथा पंजीयन निरस्त कर काली सूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी।
- 9- भण्डारित खनिज के प्रति घनमी० के लिए दी जाने वाली सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन उस क्षेत्र के अनुज्ञा पत्र के लिए किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता चयन होने के उपरान्त समिति के संस्तुति के आधार पर उसे जिलाधिकारी द्वारा अनुज्ञा पत्र हेतु सहमति पत्र (लेटर ऑफ इन्टेंट) जारी किया जायेगा। उच्चतम निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य द्वारा प्रस्तुत अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।
- 10- अधिकतम ई-निविदा दर को लॉट की मात्रा से गुणा कर देय निविदा धनराशि की गणना की जायेगी तथा अनुमन्य अवधि से भाग दे कर प्रत्येक त्रिमासिक किस्त की धनराशि निर्धारित की जायेगी।
- 11- ई-निविदा की प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त आशय-पत्र निर्गत करने से पूर्व रिजेक्ट पत्थर/ओवरबर्डन से सम्बन्धित खनन क्षेत्र के वर्तमान पट्टाधारक को स्वतः संज्ञान के आधार पर 02 कार्य दिवस के अन्दर जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्ताव, जो उच्चतम बोली से अधिक हो प्रस्तुत करने हेतु एक अवसर दिया जायेगा।
- 12- उच्चतम बोली दाता के पक्ष में जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृति आदेश निर्गत किया जायेगा।
- 13- भण्डारित मात्रा को इस तरह उठाया जाये कि डम्प Collapse ना हो जिससे कोई दुर्घटना और जन हानि की सम्भावना ना रहे और ना ही पट्टाधारक/पूर्व पट्टाधारक को कोई परेशानी हो, का ध्यान रखा जायेगा।
- 14- ग्रेनाइट संरक्षण एवं विकास नियमावली-1999 के अध्याय-6 के नियम-30 एवं 31 तथा पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये डम्प से निकाली गयी मिट्टी का अलग ढेर अनुज्ञप्ति धारक द्वारा लगाया जायेगा, जिससे पट्टा समाप्ति के बाद खदानो को भरा जा सके एवं उस पर वनस्पति आदि लगायी जा सके।
- 15- जिलाधिकारी को कोई कारण बताये बिना समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।
- 16- भण्डारित मात्रा, या अन्य किसी जानकारी के लिए कार्यालय जिलाधिकारी ललितपुर (खनन अनुभाग) से सम्पर्क किया जा सकता है।


- 17- क्षेत्र में भण्डारित खनिज की उपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदक स्वयं संतुष्ट हो ले। अनुज्ञप्ति स्वीकृति के उपरान्त इस सम्बन्ध में कोई भी क्षतिपूर्ति अथवा दावेदारी स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 18- क्षेत्र में पहुंच मार्ग का निर्माण अनुज्ञप्ति धारक को स्वयं करना होगा।
- 19- आवेदित क्षेत्र में खनिज की उपलब्धता, उसके गुण एवं मात्रा आदि के सम्बन्ध में आवेदक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व स्वयं मौके पर जाकर सत्यापित करेगा तथा इस सम्बन्ध में बाद में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 20- उ०प्र० उपखनिज परिहार नियमावली 2021 में दिये गये प्राविधानों, समय-समय पर जारी शासनादेशों एवं मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन आवेदक/अनुज्ञप्ति धारक को करना/मान्य होगा है।
- 21- कृत्रिम बालू के उत्पादन हेतु पूर्व से स्थापित संयंत्र या नया संयंत्र स्थापित करने वाले व्यक्ति /पट्टाधारक /फर्म/कम्पनी को सम्पूर्ण देय धनराशि पर 20 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित को संयंत्र स्थापित करने विषयक निबंधन प्रमाण पत्र/ अभिलेख प्रस्तुत करना होगा। संयंत्र स्थापित करने सम्बन्धी उक्तानुसार प्रमाण पत्र की पुष्टि 01 सप्ताह के अन्दर अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी (खनन) द्वारा की जायेगी। प्रमाण पत्र की पुष्टि के उपरान्त देय धनराशि पर छूट का लाभ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से अनुमन्य होगा। उत्पादक द्वारा उत्पादित एम-सैण्ड की गुणवत्ता के सम्बन्ध में निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 22- उत्पादन संयंत्र तक रिजेक्ट पत्थर/ओवरबर्डन का परिवहन ई-प्रपत्र सी के माध्यम से किया जायेगा। उत्पादित कृत्रिम बालू के भण्डारण हेतु उत्तर प्रदेश खनन (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली-2018 (यथा संशोधित) के अधीन भण्डारण अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी होगी। भण्डारण स्थल से कृत्रिम बालू का परिवहन ई-प्रपत्र -सी के माध्यम से किया जायेगा।
- 23- खनन क्षेत्रों से उत्पादन संयंत्र तक उपखनिज (पत्थर) का परिवहन ई-एम०एम०-11 (E-MM11) के माध्यम से किया जायेगा।
- 24- एम-सैण्ड ईकाइयों से (एम-सैण्ड) का परिवहन ई-प्रपत्र सी (E-Form C-M) के माध्यम से किया जायेगा।
- 25- एम-सैण्ड के परिवहन के समय प्रत्येक ई-प्रपत्र सी एम (E-Form C-M) के साथ Dispatch lot का गुणवत्ता प्रमाण पत्र होना आवश्यक होगा।
- 26- एम-सैण्ड निर्माताओं को अपने उत्पाद के लिये बी०आई०एस० प्रमाणीकरण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 27- एम-सैण्ड निर्माता को गुणवत्ता की जाँच हेतु अपने परिसर में एक प्रयोगशाला स्थापित करना अनिवार्य होगा।
- 28- उत्पादनकर्ता सप्ताह में कम से कम 02 बार उत्पादित एम-सैण्ड के नमूनों के गुणवत्ता की जाँच करेगा व उक्त परिणामों को अभिलिखित करते हुये निर्दिष्ट विभागीय पोर्टल पर अपलोड करेगा।
- 29- 03 माह में एक बार एम-सैण्ड निर्माताओं द्वारा एन०ए०बी०एल० द्वारा प्रमाणित प्रयोगशाला/भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की प्रयोगशाला/राज्य द्वारा अधिसूचित प्रयोगशाला से गुणवत्ता परिक्षण कराया जायेगा एवं उसकी रिपोर्ट निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

- 30- कृत्रिम बालू (एम-सैण्ड) निर्माण ईकाइ स्थापित करने हेतु सभी विद्यमान्य एवं नये एम-सैण्ड उत्पादकों को अपना पंजीकरण भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0 द्वारा निर्दिष्ट पोर्टल पर करना होगा। पंजीकरण के साथ रू0 1,00,000.00 (रू0 एक लाख मात्र) प्रतिभूति के रूप में जमा करना होगा।


जिलाधिकारी,
ललितपुर।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उ0प्र0 लखनऊ को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित।
- 4- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0) लखनऊ।
- 5- समस्त उपजिलाधिकारी जनपद ललितपुर।
- 6- प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय 371/9, सिविल लाइन, झांसी।
- 7- जिला सूचना अधिकारी, ललितपुर को निःशुल्क प्रकाशनार्थ एवं प्रचार-प्रसार हेतु।
- 8- समस्त तहसीलदार जनपद ललितपुर को तहसील के सूचना पट पर चस्पा करने एवं प्रचार-प्रसार हेतु।
- 9- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0) ललितपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित
- 10- नाजिर सदर कलेक्ट्रेट ललितपुर को इस निर्देश के साथ कि विज्ञप्ति की एक प्रति कलेक्ट्रेट के सूचना पट पर तत्काल चस्पा करने एवं प्रचार प्रसार हेतु।


जिलाधिकारी,
ललितपुर।